रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/92 REGD. NO. D L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 217] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1992/चैत्र 7, 1914
No. 217] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1992/CHAITRA 7, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 मार्च, 1992

सं. 26/92—एन. टी. सीमा-शुल्क

का. आ. 217(अ)—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां तक उनका संबंध निर्यात माल से है, यह अवधारित करती है कि नीचे अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी

करेंसी से भारतीय करेंसी में या भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनियम दर 1 अप्रैल, 1992 से वह होगी जो उसके स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित है :—

अनसूची

क्र.सं.	विदेशी करेंसी	100 रुपए के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनियम दर
(1)	(2)	(3)
1.	आस्ट्रिया के शिलिंग	40.6580
2.	आस्ट्रेलिया के डालर	4.5365
3.	बेल्जियम के फ्रैंक	118.5000
4.	कनाडा के डालर	4.1295
5.	डेनमार्क के क्रोनर	22.3120
6.	डूच्से मार्क	5.7160
7.	डच गिल्डर	6.4720
8.	फ्रांस के फ्रैंक	19.5000
9.	हांगकांग के डालर	26.8980
10.	इतालवी लीरा	4336.2000
11.	जापानी येन	464.1000
12.	मलेशिया के डालर	8.9800
13.	नार्वे के क्रोनर	22.5820
14.	पौंड स्टर्लिंग	2.0094
15.	स्वीडन के क्रोनर	20.8555
16.	स्विटजरलैंड के फ्रैंक	5.2210
17.	संयुक्त राज्य अमरीका के डालर	3.4740
18.	सिंगापुर के डालर	5.7570

[फा. सं. 503/5/92—सी. शु.-II]

देवेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1992

NO. 26/92-NT-CUSTOMS

S.O. 247(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government hereby determines for the purposes of said section, insofar as these relate to export goods, that the rate of exchange of conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the schedule below into Indian currency or vice-versa shall, with effect from the 1st day of April, 1992, be the rate mentioned against it in the corresponding entry in column (3) thereof.

Schedule

Sl. No.	Foreign Currency	Rate of Exchange of Foreign Currency Equivalent to Rs. 100
1	2	3
1.	Austrian Schillings	40.6580
2.	Australian Dollars	4.5365
3.	Belgian Francs	1.3.5000
4.	Canadian Dollars	4.1295
5.	Danish Kroners	22.3120
6.	Deutsche Marks	5.7460
7.	Dutch Guilders	6.4720
8.	French Francs	19.5000
9.	Hong Kong Dollars	26.8980
10.	Italian Lire	4336.2000
11.	Japanese Yen	464.1000
12.	Malaysian Dollars	8.9800
13.	Norwegian Kroners	22.5820
14.	Pound Sterling	2.0004
15.	Swedish Kroners	20.8555
16.	Swiss Francs	5.2210
17.	U.S. Dollars	3.3745
18.	Singapore Dollars	5.7570

[F. No. 503/5/92-CUS.VI]

DEVINDER SINGH, Und. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110 064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992